

30.6.22

फलावली पेश हुई। वकील पदाकारण अनुपाधित।
वकील प्रार्थी व प्रार्थियों एवं अप्रार्थियों को न्यायालय
समक्ष तन्त्र द्वारा-द्वारा जायाज लगवाई गई लेकिन -
कोई उपाधित नहीं हुए और ना-ही परमाणु अवसर
दिने जाने पर भी अप्रार्थियों की तलबी हेतु तलवाना
नोटिस पेश नहीं किये गये हैं।

अतः प्रार्थियों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
रा.के.ऐ. व 151 आ.दी अप्रार्थियों की तलबी हेतु तलवाना
नोटिस पेश नहीं करने को आदेश में अन्तर्गत आदेश
09 सिप्रम 05 के तहत खारिज किया जाता है।
फलावली जोसल शुमार होना नम्बर से नाम
होना दालिल दफ्तर है। निर्णय बुक न्यायालय
में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

